राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

मल्लाराम उर्फ मालूराम बनाम चोथमल आदि

पत्रावली संख्या 23/2022 विषय–धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
12.10.2023	पत्रावली पेश हुई । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी सं0 1626/2022 उनवान चोथमल बनाम मल्लाराम उर्फ मालूराम आदि के निर्णय दिनांक 28.02.2023 की पालना में पत्रावली सं0 23/2022 उनवान मल्लाराम उफ मालूराम बनाम चोथमल आदि पुनः पेशी पर ली गई । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2023 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी की पालना करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 का उभय पक्ष की उपस्थिति में निर्णित करें । चूंकि इस न्यायालय में भी अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2022 के विरूद्व पेश की गयी थी जिसमें इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2022 की पालना आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की गयी थी क्यों कि अब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2023 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सिधे ही प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्णित हेतु आदेशित किया है ऐसी स्थिति में अब यह अपील इस न्यायालय में चलाने का कोई ओचित्य नही है । अतः यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।	

(अशोक सांगवा)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर